

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 बैंक शाखा
शाखा धौलपुर सिटी।

बनाम मैसर्स वीर केबल इण्डस्ट्रीज
धौलपुरजरिये श्री चन्द्रवीर सिंह

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 824 सन् 2018
RCMS No. 2018/00/40


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	संख्या व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुक
23.10.18	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी सुरेश सिंह प्राधिकृत अधिकारी, पी0 एन0 बी0 बैंक शाखा धौलपुर सिटी ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स वीर केबल इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह एच 1 - 580 रीको ग्रोथ सेन्टर, औडेला रोड धौलपुर-328001, के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को 20,00,000/-रुपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- व्यवसायिक भूमि एवं भवन प्लॉट एच 1-580 रीको ग्रोथ सेन्टर औडेला रोड धौलपुर जिला धौलपुर ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 16.04.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 10.05.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 2216867.80/- रुपये मात्र दिनांक 31.03.2018 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत</p>	785-787 24.10.18

(नन्मल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति व्यवसायिक भूमि एवं भवन प्लॉट एच 1-580 रीको ग्रोथ सेन्टर औडैला रोड धौलपुर जिला धौलपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नमनसल पहाड़िया)
कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट
जिला धौलपुर (राज.)